Title: Introduction of the Basic and Primary Education (Compulsory Teaching in Mother Tongue) Bill, 2016.

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव) : महोदय, मैं प्रताव करता हूं कि बच्चों को बुनियादी और प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में सभी शिक्षण संस्थाओं में मातृभाषा के अनिवार्य प्रयोग और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंभिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the compulsory use of mother tongue in imparting basic and primary education to children in all educational institutions and for matters connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री ए.टी.नाना पाटील : मैं विधेयक को पुरःस्थापित<u>*</u>* करता हूं।